

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक-6ए0/वि02-1021/2017 (खण्ड-II) 404 (गगग)

पटना, दिनांक-24/02/2026

सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय:- वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन) के अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित टोलों (191 टोलों) में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ मिनी पाईपड जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु राज्यांश मद से 5.57752 लाख रुपये (पांच लाख संतावन हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन) अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में आर्सेनिक प्रभावित 191 टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ पाईपड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं पांच वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक-6ए0/वि02-1021/17-1464 दिनांक-15.06.17 के द्वारा कुल रू0 9377.654 लाख (तिरानबे करोड़ सतहत्तर लाख पैसठ हजार चार सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व के द्वारा राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त प्रमंडल के अन्तर्गत आर्सेनिक प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट के साथ पाईपड जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में NRDWP के राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न तालिका के अनुसार 5.57752 लाख रुपये (पांच लाख संतावन हजार सात सौ बावन रुपये) मात्र की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	पत्रांक/ दिनांक	राज्यांश मद की राशि	राज्यांश मद में अबतक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि (लाख रुपये में)			
					सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भागलपुर पूर्व	375 / 02.02.26	1116.267	883.89649	4.00	1.57752	5.57752	पांच लाख संतावन हजार सात सौ बावन रुपये मात्र।

अनुरोध है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व को उक्त राशि राज्यांश मद में पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

झापांक-6ए/वि02-1021/2017 (खण्ड-II) - 404(मो0)

पटना, दिनांक-24/02/2021

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भागलपुर पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राज्यांश मद में पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए ।

ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा ।

iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

iv. उप आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। भली-भाँति जाँच कर वित्तीय नियमों के अनुरूप निकासी एवं व्ययन की जाय ।


2. प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र-भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6. प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/अधीक्षण अभियंता (मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0-2)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-10 एवं 2/आई0टी0, मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0स्वा0अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)